

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी
पीठासीन अधिकारी :- सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :- 40/2024
दायर दिनांक :- 11.03.2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/38
निर्णय दिनांक :- 17.06.2025

प्रार्थीगण

1. पदमाराम पुत्र किशनाराम
2. मगीदेवी पत्नि किशनाराम
3. श्रवणकुमार पुत्र किशनाराम
सर्वजाति जाट नि. कलाथल
तहसील घंटियाली जिला फलोदी

बनाम

अप्रार्थीगण

01. अर्जुनराम पुत्र मगनाराम
02. चुनाराम पुत्र मगनाराम
03. भाखरराम पुत्र मगनाराम
04. हरलाल पुत्र काछबाराम
फौत के कायम मुकाम
4/1 हड़मानराम पुत्र हरलाल
4/2 नथाराम पुत्र हरलाल
4/3 हरिराम पुत्र हरलाल
4/4 मोहनी पत्नि हरलाल
जाति विश्नोई
नि. हनुमाननगर, भोजासर
तहसील आरु जिला फलोदी
05. प्रभूराम पुत्र चुनाराम
06. रेंवतराम पुत्र चुतराराम
जाति जाट नि. कलाथल
07. प्रकाश पुत्र पांचाराम
नाबालिग संरक्षक कृ. बली
माता समदी पत्नि पांचाराम
08. पांचाराम पुत्र बीरुराम
09. भीखाराम पुत्र पांचाराम
10. रामस्वरूप पुत्र पांचाराम
11. श्रवण पुत्र पांचाराम
12. सुनिल पुत्र पांचाराम
13. ओमाराम पुत्र रामचन्द्र
14. कोजाराम पुत्र रामचन्द्र
15. बाबूराम पुत्र रामचन्द्र
16. रामचन्द्र पुत्र बीरुराम
17. सन्ति पत्नि गोपाराम
18. हरीगाराम पुत्र रामचन्द्र
जाति विश्नोई
निवासी पाबुपुरा
तह. घंटियाली जिला फलोदी
19. श्रीमान तहसीलदार, घंटियाली



सहायक कलक्टर,
बाप (फलोदी)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
उपरिष्ठत :- 1. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री सुभाष विश्णोई अधिवक्ता 13 ता 18
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली

—: निर्णय —:

प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नम्बर 483/183 रकबा 7.7700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जमाबंदी व भू-नक्शा की वर्तमान प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। उक्त भूमि के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार घंटियाली द्वारा दिनांक 31.01.2024 को जारी आदेश कमाक/भू0अ0/2024/338 की पालना में दिनांक 06.02.2024 को हल्का पटवारी द्वारा मौका पर पहुंच कर पैमाईश कर मौका पर ही फर्द पैमाईश तैयार कर प्रार्थीगण खातेदारान् के पड़ौसी खातेदारान् व मौतबीरान के समक्ष सीमाज्ञान करवाया गया। फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। दिनांक 06.02.2024 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीगण के उक्त खसरा की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हों (फर्द नजरी नक्शा) के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरान् की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टियां रोपकर बाड़, तारबंदी इत्यादि करना शुरू करने पर पड़ौसी खातेदारान् व्यवधान पैदा कर प्रार्थीगण को तारबंदी नहीं करने दे रहे हैं। प्रार्थीगण की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थीगण अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टियां रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थीगण को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द दिनांक 06.02.2024 के माफिक सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेंदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 19 पैरोकार सरकार तहसीलदार घंटियाली ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 13 ता 18 की और से अधिवक्ता श्री सुभाष विश्णोई ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 483/183 रकबा 7.7700 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों

सहायक कलेक्टर
तहसील (फलोदी)

और तारबंदी नही होने की वजह से प्रार्थीगण द्वारा की जा रही कार्रवाई को अकारण परेशुद्धि द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थीगण को अनुपयोगी भांति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि पैमाईश कर्द दिनांक 06.02.2024 अनुसार अपनी हद में पत्थरगड़ी किये जाने के आदेश करवावे।

अधिवक्ता अदाप्रार्थीगण संख्या 13 ता 17 में बहस में जवाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि पैमाईश कर्द दिनांक 06.02.2024 के अनुसार पत्थरगड़ी नही की जावे क्योंकि उक्त वादग्रस्त भूमि का माप हस्तागत सरकार में मौके पर जाकर किया गयी है इसलिये प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर प्रस्तुत होने से खारिज किये जाने के आदेश करमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नकसत ट्रेस एवं मौका कर्द, अदाप्रार्थी संख्या 13 ता 18 के जवाब एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया गया। ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घटियाली जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 483/183 रकबा 7.7700 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार है रेकर्डेंड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थर गड़ी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए उपरोक्त वर्णित भूमि की पैमाईश दिनांक 06.02.2024 के अनुसार पत्थरगड़ी करवाने के हकदार है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कलाथल पटवार क्षेत्र नारायणपुरा तहसील घटियाली जिला फलोदी में खेत खसरा नम्बर 483/183 रकबा 7.7700 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश कर्द दिनांक 06.02.2024 के अनुसार पत्थर गड़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार शुल्क अदा किये जाने पर तहसीलदार घटियाली उक्त आदेश की पालना में विधिवत पत्थर गड़ढी करवावे। अगर आवश्यकता हो तो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस इमदाद प्राप्त की जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर (फलोदी)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)